

## खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021

### प्रलिस के लयि:

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021, संवधान की 6वीं अनुसूची, मेघालय की जनजातयिँ

### मेन्स के लयि:

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021 के उद्देश्य और महत्त्व

### चर्चा में क्योँ?

हाल ही में मेघालय में खासी हलिस ऑटोनॉमस डिसट्रिक्ट काउंसलि (KHADC) ने घोषणा की है कि वह 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधियक, 2021' पेश करेगी। इस बलि का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का "समान वितरण" करना है।

- यदि प्रस्तावित विधियक लागू होता है, तो यह मातृवंशीय खासी जनजात की वरिसत की सदयिँ पुरानी प्रथा को संशोधित करेगा।

### नोट:

- खासी हलिस ऑटोनॉमस डिसट्रिक्ट काउंसलि (KHADC) संवधान की छठी अनुसूची के तहत एक नकिया है।
- इसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
- छठी अनुसूची का अनुच्छेद 12A राज्य विधानमंडल को कानून पारित करने का अंतिम अधिकार देता है।
- संवधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।
- यह विशेष प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत कया गया है।
- यह स्वायत्त जिला परिषदों ((ADCs) के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करता है, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

### प्रमुख बदि:

- वरिसत की मातृवंशीय प्रणाली के बारे में:
  - मेघालय की तीन जनजातयिँ- खासी, जयंतिया और गारो, वरिसत की एक मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास करती हैं।
    - इस प्रणाली में वंश और वंश का पता माता के वंश से चलता है।
  - दूसरे शब्दों में बच्चे माँ का उपनाम लेते हैं, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता है और परिवार की सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हस्सा सौंपा जाता है।
    - खतदुह भूमि की "संरक्षक" बन जाती है और भूमि से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारी लेती है, जिसमें वृद्ध माता-पिता, अवविहित या नरिशरति भाई-बहनों की देखभाल करना शामिल है।
  - यह वरिसत परंपरा केवल पैतृक या कबीले/सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है, जो वर्षों से परिवार के साथ है। इसके अलावा स्व-अर्जित संपत्ति भाई-बहनों के बीच समान रूप से वितरित की जा सकती है।
  - इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर किसी दंपति की कोई बेटी नहीं है, तो संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटयिँ को सौंप दी जाती है।
  - यदि पत्नी की बहन नहीं है, तो आमतौर पर कबीला संपत्ति पर कब्जा कर लेता है।
- महिला सशक्तीकरण पर इस प्रणाली का प्रभाव: महिला कार्यकर्ताओं ने अक्सर बताया है कि मेघालय में मातृवंशीय व्यवस्था शायद ही कभी महिलाओं को सशक्त बनाती है।

- **संरक्षकता संबंधी समस्या :** संरक्षकता को अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि इसमें स्वामित्व केवल एक व्यक्ति में नहिता होता है, जो कसबसे छोटी बेटी होती है।
  - यह संरक्षकता वृद्ध माता-पता, अववाहता या नरिशरता भाई-बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की ज़मिमेदारी के साथ आती है।
  - इसके अलावा संरक्षक अपने मामा की अनुमता के बनिा ज़मीन खरीद या बेच नहीं सकती है।
- **मातृसत्तात्मक:** लोग अक्सर मातृसत्तात्मक शब्द यानी जहाँ महिलाएँ प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं, को लेकर भरमति होते हैं।
  - जहाँ महिलाएँ प्रमुख रूप से कार्य करती हैं, वहाँ महिलाओं को गतशीलता की स्वतंत्रता और शक्ति तक आसान पहुँच होती है, लेकनि मेघालय में महिलाएँ नरिणय लेने की भूमिका में नहीं हैं।
  - राजनीता या प्रमुख संस्थानों जैसे सत्ता के पदों पर मुश्कल से कोई महिला है।
- **वधियक के बारे में:**
  - **प्रावधान:**
    - प्रस्तावति वधियक में **पुरुष और महिला दोनों भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्तिका 'समान वतिरण** करने की परकिल्पना की गई है।
    - वधियक **माता-पता को यह तय करने का अधकार देगा** कविे अपनी संपत्तकसिके नाम करना चाहते हैं।
    - यह वधियक एक गैर-खासी से शादी, जीवनसाथी के रीत-रवाजों तथा संस्कृतको स्वीकार करने पर भाई-बहन को पैतृक संपत्तकि प्राप्त करने से रोकता है।
  - कानून का उद्देश्य **संपत्तकिे समान वतिरण के सदिधांत पर आधारति आर्थकि सशकतीकरण** है।
  - **वधियक की आवश्यकता:** कुछ समूहों ने वर्षों से लागू संपत्तकिरिसत की व्यवस्था का वरिध करते हुए कहा है कयिह पुरुषों को 'वधितकि' करती है और परवार में सभी बच्चों के बीच समान संपत्तकिरिसत के लयि दबाव डालती है।
  - **प्रभाव:** यह मातृवंशीय खासी जनजातकि वरिसत की सदयिों पुरानी प्रथा को संशोधति करेगा।

**स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/khasi-inheritance-of-property-bill-2021>

